कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन,बाणगंगा,भोपाल

क्रमांक 2785/प्र.अ.(विधि) / लोस्वायांवि. / 2023 भोपाल, दिनांक 22/09/2023

//आदेश//

इस आदेश के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की रिट पिटीशन क्रमांक 949/2012 (महेन्द्र गौरे एवं 12 अन्य बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में शामिल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड उज्जैन/नगर पालिक निगम संधारण खंड उज्जैन के अधीनस्थ कार्यरत 13 कार्यभारित स्थापना में उपयंत्री से निचले पदों पर कार्यरत कर्मचारियों क्रमशः (1) श्री महेन्द्र गौरे (इलेक्ट्रीशियन) (2) श्री सुरज सेन (हैण्डपम्प तकनीशियन ग्रेड–3) (3) श्री दिलीप सोलंकी (बिल क्लर्क) (4) श्री ओमप्रकाश सिसोदिया (प्रयोगशाला सहायक) (5) श्री अशोक मालवीया (फिल्टर ऑपरेटर ग्रेड–2) (6) नितिन पुरानिया (फिल्टर ऑपरेटर ग्रेड–2) (7) श्री हरीराम गोयल (पम्प ऑपरेटर) (8) श्री दयाराम चौहान (मीटर मिस्त्री) (9) श्री रतनलाल तवर (स्टोर क्लर्क) (10) श्री कमलेश कजोरिया, (समयपाल) (11) श्री हरिनारायण एरवाल (पम्प ऑपरेटर) (12) श्री दिलीप रायकवार फिल्टर फिटर) (13) श्री भूषण गर्ग (समयपाल) के द्वारा रिट पिटीशन में चाही गयी सहायता के संबंध में निराकरण किया जा रहा है।

(1) श्री महेन्द्र गौरे एवं 12 अन्य कार्यभारित कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के समक्ष रिट पिटीशन क. 949/2012 दायर कर माननीय न्यायालय से निम्न सहायता चाही गई थी :–

> (अ) प्रतिवादियों को आदेश दिये जावे कि वे वादी कर्मचारियों का नाम, उपयंत्री के पद पर पदोन्नति हेतु विचारार्थ बनाई जाने वाली सूची में शामिल करें।

(2) माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा उक्त रिट याचिका का निराकरण पारित आदेश दिनांक 13 मई 2023 के माध्यम से किया गया है, जो निम्नानुसार है :–

> 3. In view of the aforesaid submissions, the present petition is disposed off with liberty to the petitioners to file fresh joint representation before the competent Authority along with relevant documents and order dated 6/3/2012 and if such representation is submitted, the same shall be considered and decided by the competent Authority by taking into consideration the circular dated 7/4/1971 issued by the General Administrative Department and order dated 13/1/2004 issued by the Engineer-In-Chief PHE Department, Bhopal and the order dated 6/3/2012 whereby identically placed persons have been granted benefit, within a period of 3 months from the date of filing of the representation. If the claim of the petitioners is found at parity with the identically placed persons, the same benefit shall be granted to the petitioners.
>
> 4. With the aforesaid, the petition is disposed off.

2219

(3) रिट याचिका क. 949 / 2012 में पारित निर्णय दिनांक 13.05.2023 के अनुपालन में सभी 13 वादी कर्मचारियों की ओर से एक संयुक्त अभ्यावेदन दिनांक 12.06.2023 प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है :–

To

1- The Principal Secretary,
Public Health Engineering Department,
Vallabhavan, Bhopal (M.P.).

2- Engines in Chief
Public Health Engineering Department,
Jal Bh Beat ga Road, Near Palash Hotel,
TT Nagar, Bhopal (M.P.).

3 - Chief Engineer,
Public Health Engineering Department, Indore (M.P.)

4- Superintending Engineer,
Public Health Engineering Department.
Ujjain Circle, Ujjain (M.P.)

Subject:- Promotion on the post of Sub Engineer reserve for in service candidate having the qualification of Sub-Engineer,

Ref:- Order passed in W.P. No. 949/2012 in the matter of Mahendra Gore & Others Vs. State of M.P. & Others on 13.5.2023.

Through- Proper Channel.

Respected Sir.

We undersigned are working on various technical posts of the Public Health Engineering Department Ujjain Circle, Ujjain, all the applicants having the Diploma in various stream of Engineering, so all having the qualification of Sub Engineer and are entitled to work on the post of Sub Engineer.

That 5% of posts of Sub Engineer has been reserved for the employee working on various technical posts in the department and having the minimum qualification of Sub Engineer (by way of amendment dated 24.11.2011 in the rules of 1976) and considering the said reservation earlier also several others Class-III, Class-IV working on technical posts have been promoted on the post of Sub Engineer and they are still working as Sub Engineer.

That, our case are also same identical to the case of the other employee who have been promoted on the post of Sub Engineer by order dated 6.3.2012. but the said benefits has been denied to us without any reason therefore, writ petition bearing no 949/2012 was filed and after issuance of notice in the writ petition, the reply was filed and in the reply, it was stated that, we are working in the head work charge employee and therefore, the benefits cannot be extended to us, the matter was listed for Hearing on 13.5.2023 and the writ petition has been disposed off will the consent of Govt. Advocate and direction has been issued to consider our case in the light of order dated 6.3.2012 passed in the case of other identically place employee and it was also

directed to consider the case in the light of order circular issued by the State Govt. dated 7.4.1971 and 13.1.2004

That, we are working in Work Charge establishment from more than fifteen years and as per the provisions contained in 2 (C) of Madhya Pradesh (Work Charge and Contingency Paid employee) Pension Rules 1979, the work charge employee after completion of ten years of service in work charge establishment will be treated as permanent employee and are entitled to receive all the benefits which are available to employee posted in regular establishment and in view of the specific provision of law and looking to the length of service in work charge establishment, we are entitled to receive the benefits which are available to the identically placed employee posted in regular establishment, The Hon'ble High Court has please to disposed of the matter after considering this aspect of the matter also..

That, in view of the direction of Hon'ble High Court, we are submitting our representation along with the relevant documents and by folded hand requesting you to kindly decide our case in the method and manner directed by the Hon'ble High Court and grant us all consequential benefits within the time specified by the Hon'ble High Court.

(4) रिट याचिका कमांक 949/2012 में पारित निर्णय दिनांक 13.05.2023 के अनुपालन में कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड उज्जैन /नगर पालिक निगम संधारण खंड उज्जैन के अधीनस्थ कार्यरत सभी 13 वादी कर्मचारियों द्वारा उठाये गये मुद्दो का निराकरण निम्नानुसार किया जाता है :–

(i) विभाग में नियमित स्थापना के अराजपत्रित श्रेणी के कर्मचारियों के मामलो में मध्य प्रदेश लोक स्वास्थय यात्रिकी विभाग (अराजपत्रित) सेवा (सेवा की शर्तें तथा भर्ती) नियम, 1976 लागू है । इन भर्ती नियमो में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2–10/2011/1/चौंतीस भोपाल दिनांक 24.11.2011 जो मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 25.11.2011 में प्रकाशित है, के माध्यम से अधिसूचित किये गये सशोंधन के अनुसार विभाग में उपयंत्री के पद से निचले पदों पर कार्यरत तकनीकी /गैर तकनीकी संवर्ग के कर्मचारियों को उपयत्री (सिविल) एवं उपयंत्री (वि. एवं या.) के पद पर पदोन्नत करने के संबंध में अनुसूची–2 में निम्नानुसार प्रावधान किये गये है :–

(अ) 5 प्रतिशत पद आर्टिफिसर, उप आर्टिफिसर तथा सर्वेयर और नियिमित स्थापना में कार्यरत कर्मचारियों जो सिविल /मैकेनिकल इंजीनिरिंग में उपाधि/3 वर्षीय डिप्लोमा तथा उक्त पदों पर 10 वर्ष का कार्यानुभव रखते है की पदोन्नति द्वारा भरे जाएगें।

(ब) उपयंत्री के 5 प्रतिशत पद अनुरेखक/सहायक मानचित्रकार तथा अन्य तकनीकी पद पर कार्यरत कर्मचारियों जिनके पास सिविल/मैकेनिकल

2219

इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय/पार्ट टाइम डिप्लोमा एवं पद पर न्यूनतम 10 वर्ष का कार्यानुभव हो, की सीमित परीक्षा आयोजित कर भरे जाएंगें।

(ii) विभाग द्वारा कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियो की भर्ती तथा सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए अधिसूचना कमांक एफ 2–24–2010–1–चौंतीस भोपाल दिनांक 18.09.2012 के माध्यम से भर्ती नियमों को अधिसूचित करते हुऐ, उन्हें मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 20.09.2012 में प्रकाशित कराया गया है। इन भर्ती नियमो में उपयंत्री के पद से निचले पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित स्थापना के उपयत्री (सिविल) एवं उपयंत्री (वि. एवं या.) के पद पर पदोन्नत करने के संबंध में कोई प्रावधान मौजूद नहीं है ।

(iii) माननीय न्यायालयों द्वारा भर्ती नियमों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है तथा इनमें निहित प्रावधानों के विपरीत की गई नियुक्तियों/संविलियन को कानूनी रूप से शून्य घोषित किया गया है।

इस संबध में माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा रिट याचिका कमांक 198/1999 (मनसुखलाल सराफ विरूद्ध अरूण कुमार तिवारी एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 06.08.2015 महत्वपूर्ण है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि ऐसे समस्त आदेश जहां विहित भर्ती नियमों का पालन न करते हुये भर्तियां/संविलियन की गई है वो कानूनी रूप से शून्य माने जायेंगें। यथा :–

> **47. By this pronouncement, we declare that all appointments made in similar manner (without following the selection process prescribed by the relevant recruitment rules), in breach of statutory rules, be treated as non-est in the eye of law from its inception and would stand annulled forthwith.**

इस प्रकरण मे दायर एस.एल.पी. (सी.) सी.सी. कमांक 3582/2017 (अरूण कुमार तिवारी विरूद्ध मनसुखलाल सराफ एवं अन्य) आदेश दिनांक 11.04.2017 द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायलय द्वारा दिये गए निर्देशों को मान्य किया है।

उपरोक्तानुसार कार्यभारित स्थापना के कर्मचारी को पदोन्नति के माध्यम से नियमित स्थापना के उच्च पद पर नियुक्ति/संविलियन करना किसी भी दृष्टि से विधिसंगत नही है।

(iv) वादी कर्मचारियों द्वारा अपने अभ्यावेदन के साथ प्रमुख अभियंता कार्यालय के आदेश कमांक 115 दिनांक 06.03.2012 एवं 117 दिनांक 06.03.2012 को प्रस्तुत करते हुये यह कहा गया है कि समान तरह के कर्मचारियों को इन आदेशों के माध्यम से उपयत्री के पद पर

2219

पदोन्नतियां दी गई है जबकि उन्हें बिना किसी कारण के ही पदोन्नति के लाभ से वंचित रखा गया हैं।

इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि नियमित कर्मचारियों एवं कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियो के भर्ती नियम पूर्णतः अलग–अलग है तथा कार्यभारित स्थापना में पदस्थ वादी कर्मचारियों द्वारा अपने आपको नियमित कर्मचारी के समान/एकरूप बताया जाना किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है।

प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा जारी किये गये आदेश दिनांक 06.03.2012 नियमित स्थापना कर्मचारियों से सबंधित है तथा उन्हे, उनके लिये लागू भर्ती नियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार पदोन्नत किया गया है, जबकि कार्यभारित स्थापना के कर्मचारियों हेतु लागू भर्ती नियमों में इस हेतु प्रावधान नहीं होने के कारण वादी कर्मचारियों का विचारण पदोन्नति हेतु नहीं किया गया है।

(v) मान न्यायालय द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र कमांक 245/सी.आर. 619/एफ(3) दिनांक 7 अप्रैल 1971 तथा प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों को जारी किया गया पत्र कमांक 405 दिनांक 13.01.2004 को विचारण में लेने के निर्देश दिए गए है। इनके सम्बन्ध में स्थिति निम्नानुसार है :–

(अ) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक 245/सी.आर. 619/एफ(3) दिनांक 7 अप्रैल 1971 मे कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित स्थापना के पदों पर की जाने वाली सीधी भर्ती में वेटेज दिये जाने का उल्लेख है। परिपत्र किसी नियमित स्थापना के उच्च पद पर पदोन्नति मे कार्यभारित स्थापना के कर्मचारियों को सम्मिलित करने से संबंध नहीं रखता है। वास्तव में कार्यभारित स्थापना के कर्मचारी को पदोन्नति के माध्यम से नियमित स्थापना में संविलियन किये जाने संबंधी कोई प्रावधान अस्तित्व में नहीं है।

(ब) प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों को जारी किये गये पत्र कमांक 405 दिनांक 13.01.2004 में उल्लेख हे कि–

"विभाग में उपयंत्री के रिक्त पदों पर कार्यभारित स्थापना के कार्यरत अंर्हताधारी कर्मचारियों को उपयंत्री के पद पर नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है"।

इस संबंध में लेख है कि विभाग में जब भी ई एस बी के माध्यम से नियमित स्थापना के उपयंत्री पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

249

जारी होती है तो जिन कार्यभारित कर्मचारियों के पास उक्त विज्ञप्ति के अनुसार पद की अर्हता होती है उन्हें इस तरह की भर्ती प्रकिया में सम्मिलित होने की अनुमति नियम/प्रकियाओं के अनुसार जारी की जा सकती है । ऐसे कर्मचारी, भर्ती प्रकिया के माध्यम से नियमित उपयंत्री के पद पर नवनियुक्त हो सकते है। इस संबंध में पूर्व से ही किसी प्रकार की बाधा नही है।

(vi) वर्तमान में विभाग में कार्यभारित स्थापना के अंर्तगत अनेंक संवर्गों के कर्मचारी कार्यरत है तथा इनमे से कुछ कर्मचारियों को पदोन्नति की प्रकिया के माध्यम से नियमित स्थापना में समायोजित करने से उसी संवर्ग के अन्य कर्मचारियों द्वारा भी इस तरह की मांग उठाई जाना स्वाभाविक है, जिससे भविष्य में वेतन निर्धारण, वरिष्ठता आदि मुद्दों को लेकर अनेक तरह की प्रशासनिक कठिनाइयां उत्पन्न होने की संभावना है । उक्त के परिपेक्ष्य में भी आपके द्वारा की गई मांग न्यायोचित नहीं कही जा सकती है।

उपरोक्तानुसार वादी कर्मचारियों द्वारा अपने अभ्यावेदन के माध्यम से चाहे गये लाभों को सम्पूर्ण विचारोपंरान्त अमान्य किया जाता है। उन्हें नियमित स्थापना के उपयंत्रियों के 10 प्रतिशत पदों की पूर्ति हेतू की जाने वाली पदोन्नति की प्रक्रिया अथवा सीमित विभागीय परीक्षा में शामिल नहीं किया जा सकता है।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे कर्मचारी विभागीय अनुमति प्राप्त करने के उपरांत, भर्ती प्रकिया में शामिल होकर नियमित उपयंत्री के पद पर नवनियुक्त हो सकते है। इस संबंध में पूर्व से ही किसी प्रकार की बाधा नही है।

22/9

प्रमुख अभियंता

पृ.क्र. 13062/प्र.अ.(विधि) / लोस्वायांवि. / 2023

भोपाल, दिनांक 22/9/2023

प्रतिलिपि :-

(1)मुख्य अभियंता लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

(2)अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग, मंडल उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

(3)कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थय यांत्रिकी खंड उज्जैन/नगर पालिक निगम संधारण खंड उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

(4) श्री कार्यालय कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थय यांत्रिकी खंड उज्जैन/नगर पालिक निगम संधारण खंड उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

22/9

प्रमुख अभियंता

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 408] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 सितम्बर 2012—भाद्र 29, शक 1934

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ 2-24-2010-1-चौंतीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2012 है.

) ये नियम, इनके मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, अनुसूची एक क तथा दो ख के कॉलम (6) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ;

(ख) ''आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी'' से अभिप्रेत है, उन कर्मचारियों को अपवर्जित करते हुए, कोई व्यक्ति जो किसी कार्यालय अथवा स्थापना में पूर्णकालिक रूप से नियोजित हो और जिसे मासिक आधार पर भुगतान किया जाता हो तथा जिसका वेतन कार्यालय की आकस्मिकता निधि पर भारित हो और जो किसी वर्ष में केवल कुछ अवधियों के लिए नियोजित रहे हों;

(ग) ''कर्मचारी'' से अभिप्रेत है, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाला कर्मचारी;

(घ) ''सरकार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(ङ) ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(च) **"अनुसूचित जाति"** से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमे का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है ;

(छ) **"अनुसूचित जनजाति"** से अभिप्रेत है कोई जनजाति अथवा जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है ;

(ज) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची ;

(झ) **"सेवा"** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा ;

(ञ) **"कार्यभारित कर्मचारी"** से अभिप्रेत है कार्य के सामान्य पर्यवेक्षण से अन्यथा किसी कार्य के वास्तविक निष्पादन के लिए नियोजित कोई व्यक्ति अथवा पर्यवेक्षण से संबंधित कार्य के लिए उन कर्मचारियों को अपवर्जित करते हुए, जिन्हें दैनिक मजदूरी के आधार पर या मस्टर रोल पर भुगतान किया जाता है, विभागीय श्रमिक के रूप में स्टोर में, विद्युत् उपकरण तथा मशीनरी इत्यादि को चलाने तथा उनके संधारण से संबंधित कार्य के लिए नियोजित कोई व्यक्ति।

3. **विस्तार तथा लागू होना.–**

मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.–**

सेवा का गठन निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर होगा, अर्थात् :–

(क) कोई व्यक्ति, जिसने 1 जनवरी, 2011 को, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त कर्मचारी के रूप में सेवा का कम से कम एक वर्ष पूर्ण कर लिया हो और जो उस तारीख को, अनुसूची तीन में विनिर्दिष्ट पदों में से कोई पद धारण कर रहा हो या जिसने उस तारीख को राज्य सरकार के नियमित नियोजन में समान पद धारण करने वाले कर्मचारियों के लिये विहित अधिवार्षिकी आयु पूर्ण न की हो।

(ख) कोई व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों के अधीन इस सेवा में भर्ती किया गया हो।

5. सेवा का वर्गीकरण तथा पदों की संख्या.—

सेवा का वर्गीकरण तथा उसमें सम्मिलित पदों की संख्या तथा उनके लिए नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूची एक क और एक ख में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होंगे।

6. **श्रेणीकरण.**— इन नियमों के प्रयोजनों के लिए कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) स्थायी ; और

(ख) अस्थायी,

ऐसा कर्मचारी जिसने 1 जनवरी, 2011 को सेवा के पन्द्रह वर्ष पूर्ण कर लिए हों, स्थायी कर्मचारी तथा जिसने 1 जनवरी, 2011 को सेवा के पन्द्रह वर्ष पूर्ण न किए हों, अस्थायी कर्मचारी होगा।

7. **भरती का तरीका:**— (1) अनुसूची में विनिर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन स्थापना, भर्ती तथा वरिष्ठता को सम्मिलित करते हुए समस्त प्रयोजनों के लिए एक इकाई गठित करेगी।

(2) आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा ;

(ख) स्थानांतरण द्वारा।

(3) प्रत्येक जिले में, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक समिति गठित की जएगी, अर्थात् :—

(क) वृत्त का अधीक्षण यंत्री .... अध्यक्ष

(ख) कार्यपालन यंत्री .... सदस्य (अधीक्षण यंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट)

(ग) यथास्थिति, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से राजपत्रित श्रेणी — दो से अनिम्न पद श्रेणी का कोई अधिकारी .... सदस्य

(4) इस सेवा के अधीन किसी पद पर नियुक्ति, उपनियम (3) के अधीन गठित समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

(5) इन नियमों में की कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथ्ज्ञा अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों को उपलब्ध कराए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

(6) इस सेवा के अधीन पदों पर सीधी भर्ती रोजगार कार्यालय द्वारा तैयार सूची में से, जब संबंधित स्थापना द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए मांगी जाए, की जाएगी और यदि रोजगार कार्यालय द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो विज्ञापन द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाकर भर्ती की जाएगी।

(7) पदों को भरने के लिये शैक्षणिक अर्हताएं ऐसी होंगी जैसी कि तत्स्थानी पदों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियमित कर्मचारियों के लिये विहित की गई हों, जहां ऐसे कोई तत्स्थानी पद न हों वहां शैक्षणिक अर्हता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की जाएगी।

(8) न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने वाला कोई ऐसा कर्मचारी भी, जिससे शैक्षणिक अर्हता के साथ साथ कम से कम 3 वर्ष की निरंतर सेवा अपेक्षित हो, कार्यभारित, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र होगा।

(9) जहाँ प्रशिक्षण के संबंध में अपेक्षित अर्हताएं रखने वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, वहां इस शर्त के अध्यधीन कि संबंधित स्थापना द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रशिक्षण के अवसर का लाभ लेने के पश्चात् उन्हें निश्चित कालावधि के भीतर ऐसे प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित अर्हता प्राप्त करनी होगी, अप्रशिक्षित अभ्यर्थी भी भर्ती किए जा सकेंगे।

(10) सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों को होरीजेण्टल तथा कम्पार्टमेंट आधार पर आरक्षण दिया जाएगा।

8. **नये सदस्यों की शारीरिक योग्यता और अधिवार्षिकी आयु.**— नये सदस्यों के लिए भर्ती के लिए शारीरिक योग्यता और अधिवार्षिकी आयु वही होगी जो नियमित नियोजन में समान प्रवर्गों वाले सरकारी सेवकों के लिए लागू होती है।

9. **वरिष्ठता सूची.**— प्रत्येक इकाई में, प्रत्येक वर्ग को वरिष्ठता सूची मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 को ध्यान में रखते हुए बनाये रखी जाएगी। छंटनी के प्रयोजन के लिए जहां कि शासन के हित में कोई कर्मचारी एक से दूसरी इकाई में स्थानांतरित किया

जाता है, तो छंटनी के विषय में मूल इकाई में उसकी सेवा की निरंतरता को विचार में लिया जाएगा।

10. **सेवा अभिलेख.**— स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों के समुचित सेवा अभिलेख इकाई स्तर पर सम्यक्रूप से उसी प्रोफार्मा में सत्यापित किए जाएंगे जो कि राज्य सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए उपयोग में लाया जाता है।

11. **सेवोन्मुक्ति प्रमाण पत्र.**— उस दशा में जहां कि कोई कर्मचारी छंटनी के परिणामस्वरूप सेवा छोड़ता है, उसे, मांगे जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्ररूप में एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, अर्थात् : —

(1) नाम : ....
(2) पिता/पति का नाम : ....
(3) पहचान चिन्ह (यदि कोई हों तो) : ....
(4) कुल सेवा : ....से ....तक
(5) छोड़ते समय धारित नियुक्ति : ....
(6) वेतनमान की दर (यदि कोई हो तो) : ....
(7) सेवा छोड़ने का कारण : ....

कर्मचारी के
हस्ताक्षर या अगूंठे का निशान

हस्ताक्षर ....
नियुक्ति प्राधिकारी की मुद्रा
तथा पदनाम

12 **आचरण.**— मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उपबंध सेवा के सदस्यों को लागू होंगे :

परंतु कदाचार में किसी कर्मचारी की ओर से किए गए निम्नलिखित कार्य तथा लोप भी सम्मिलित होंगे, अर्थात् : —

(क) शासकीय कारबार या संपत्ति के संबंध में चोरी, कपट या बेईमानी ;

(ख) वरिष्ठ के किसी विधिपूर्ण या युक्तियुक्त आदेश की या तो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ जानबूझकर अवज्ञा ;

(ग) शासकीय माल या संपत्ति की जानबूझकर क्षति या हानि ;

(घ) शासकीय कार्य को करने के लिए रिश्वत या कोई पारितोषिक लेना या देना ;

(ङ.) विलंब से उपस्थित होने का अभ्यस्त होना ;

(च) बिना अवकाश के अनुपस्थित रहने अथवा बिना अवकाश के दस से अधिक दिनों तक अनुपस्थित रहने का अभ्यस्त होना ;

(छ) इस स्थापना अथवा विभाग के कर्मचारी को लागू किन्हीं आचरण नियमों के भंग का अभ्यस्त होना ;

(ज) स्थापना या विभाग में कामकाज के घंटों के दौरान बलवाई या विच्छृंखल व्यवहार या अनुशासन विरोधी कोई कार्य ;

(झ) कार्य की आभ्यासिक उपेक्षा जिसमें काम के घंटों के दौरान सोना सम्मिलित है ;

(ञ) किसी कार्य या लोप की बारबार पुनरावृत्ति ;

(ट) कार्य के संपादन में जानबूझकर मन्दगति ;

(ठ) किसी कर्मचारी द्वारा किसी अप्राधिकृत व्यक्ति को विभागीय जानकारी का प्रकटन;

(ड) विभाग की स्थापना के परिसर में जुआ और सट्टा खेलना ;

(ढ) तत्समय विधि का बल रखने वाली किसी विधि या नियम के उपबंधों के उल्लंघन में हड़ताल करना या अन्य लोगों को हड़ताल पर जाने के लिए उकसाना ;

(ण) काम के घंटों के दौरान मद्यपान या किसी भांति का नशा करना ;

(त) राज्य की सुरक्षा के विरूद्व कोई कार्रवाई।

13 **शास्तियां.**— किसी अच्छे तथा पर्याप्त कारणों से किसी कर्मचारी पर निम्नलिखित शास्तियां अधिरोपित की जा सकेंगी, अर्थात् :—

(क) परिनिंदा ;

(ख) एक बार में एक दिन की उपलब्धियों से अनधिक जुर्माना ;

(ग) वेतनवृद्धियों या पदोन्नतियों को रोका जाना ;

(घ) किसी विधि की उपेक्षा या भंग द्वारा शासन को कारित किसी संपूर्ण आर्थिक हानि या उसके किसी भाग की वेतन से वसूली ;

(ङ) एक बार में 14 दिन से अनधिक की किसी कालावधि के लिये निलंबन (किसी मजदूरी के लिये हकदार हुए बिना) ;

(च) निम्नतर पद या ग्रेड पर प्रतिवर्तन ;

(छ) सेवा से हटाया जाना भावी नियोजन के लिये निरहर्ता नहीं होगी ;

(ज) सेवा से पदच्युत किया जाना भावी नियोजन के लिये निरहर्ता होगी।

14 <u>शास्तियां अधिरोपित करने के लिये प्रक्रियाः—</u>

(1) नियम 13 के खण्ड (च), (छ) और (ज) में विनिर्दिष्ट किन्हीं भी शास्तियों को अधिरोपित करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि : —

(क) कर्मचारी को उसके विरूद्व कार्रवाई किये जाने के प्रस्ताव तथा उन आरोपों के बारे में, जिन पर कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है जबकि ऐसा किया जाना संभव हो, लिखित में सूचित न कर दिया गया हो ;.

(ख) कर्मचारी को उसके विरूद्व लगाए गए आरोपों के संबंध में अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए सुनवाई का एक अवसर न दे दिया गया हो ;

(ग) ऐसा स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, विचार में लिया गया है, तब कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बिना पदच्युत नहीं किया जाएगा।

(2) ऐसा किया जाना तब आवश्यक नही होगा जब विभागाध्यक्ष, राज्य की सुरक्षा के आधार पर किसी कर्मचारी को सेवा से हटाया जाना आवश्यक समझे।

(3) उप नियम (1) में निर्दिष्ट लिखित में कोई आदेश कर्मचारी को परिदत्त किए जाने पर तुरंत प्रभावी हो जाएगा तथा कर्मचारी द्वारा परिदान स्वीकार किए जाने से इंकार किए जाने की दशा में यह, उस स्थापना के सूचना पटल पर जिसमें कि वह है चिपका दिया जाएगा और सूचना पटल पर उसका ऐसा चिपका दिया जाना उस पर तामील कर दिया जाना समझा जाएगा।

15 **अपील.**— (1) कर्मचारी नियम 13 के खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन उस पर अधिरोपित शास्ति के सिवाय ऊपर नियम 13 के अधीन उस पर अधिरोपित किसी शास्ति के विरूद्व कोई अपील, शास्ति अधिरोपित किए जाने से एक मास की किसी कालावधि के भीतर उस प्रधिकारी से ठीक वरिष्ठ प्राधिकारी को जिसने कि शास्ति अधिरोपित की है, कर सकेगा, ऐसे अपील प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन कोई अपील सीधे अपील प्राधिकारी को प्रस्तुत की जा सकेगी।

16 **निर्वचन.**– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा.जिसका कि उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

17 **शिथिलीकरण.**– इन नियमों मे की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि यह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसे कि यह नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति में जैसी कि उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत हो, कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को सीमित या कम करती है :

परन्तु मामले में किसी ऐसी रीति में कार्यवाही नहीं की जाएगी जो कि उसके लिए इन नियमों में उपबंधित रीति से कम अनुकूल हो ।

18 **निरसन तथा व्यावृत्ति.**– इन नियमों के ठीक पूर्व प्रवृत्त मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कार्यभारित एवं आकस्मिक सेवा (सेवा तथा भर्ती की शर्तें) नियम, 1980, इन नियमों द्वारा समाविष्ट मामलों के संबंध मे एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

अनुसूची एक — क
(नियम—5 देखिए)

कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से संदाय किए जाने वाले तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की सेवा का वर्गीकरण और पदों की संख्या

अनु.—क्रमांक	पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	एयर कम्प्रेशर आपरेटर	73	तृतीय श्रेणी	रू. 5200—20200+1900 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
2.	इलेक्ट्रिशियन ग्रेड—3	80	तृतीय श्रेणी	रू. 5200—20200+1900 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
3.	कारपेन्टर	35	तृतीय श्रेणी	रू. 5200—20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
4.	सहायक केमिस्ट	117	तृतीय श्रेणी	रू. 5200—20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
5.	केमिस्ट	21	तृतीय श्रेणी	रू. 5200—20200+2800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
6.	क्लोरीन आपरेटर	31	तृतीय श्रेणी	रू. 5200—20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
7.	मीटर रीडर	114	तृतीय श्रेणी	रू. 5200—20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
[illegible]	मैकेनिक ग्रेड—3	219	तृतीय श्रेणी	रू. 5200—20200+1900 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
9.	बिल लिपिक	65	तृतीय श्रेणी	रू. 5200—20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
10.	अनुसंधान सहायक	22	तृतीय श्रेणी	रू. 5200—20200+2800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
11.	शिफ्ट इंचार्ज	17	तृतीय श्रेणी	रू. 5200—20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
12.	सहायक फिटर	18	तृतीय श्रेणी	रू. 5200—20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
13.	फिटर ग्रेड—3	65	तृतीय श्रेणी	रू. 5200—20200+1900 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
14.	फिल्टर आपरेटर ग्रेड—3	72	तृतीय श्रेणी	रू. 5200—20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
15.	पंप चालक	142	तृतीय श्रेणी	रू. 5200—20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
16.	पंप आपरेटर	122	तृतीय श्रेणी	रू. 5200—20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
17.	पेंटर ग्रेड—3	07	तृतीय श्रेणी	रू. 5200—20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
18.	प्लम्बर	257	तृतीय श्रेणी	रू. 5200—20200+1900 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
19.	प्रयोगशाला सहायक	133	तृतीय श्रेणी	रू. 5200—20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
20.	समयपाल	388	तृतीय श्रेणी	रू. 5200—20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
21.	स्टोर क्लर्क	193	तृतीय श्रेणी	रू. 5200—20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
22.	वायरमेन	85	तृतीय श्रेणी	रू. 5200—20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
23.	वाहन चालक	599	तृतीय श्रेणी	रू. 5200—20200+1900 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
[illegible]	वेल्डर	16	तृतीय श्रेणी	रू. 5200—20200+1900 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
25.	हैण्डपंप तकनीशियन	1039	तृतीय श्रेणी	रू. 5200—20200+2100 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
26.	टर्नर	15	तृतीय श्रेणी	रू. 5200—20200+1900 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
27.	पाईप फिटर	27	तृतीय श्रेणी	रू. 5200—20200+1900 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
28.	फिल्टर फिटर	18	तृतीय श्रेणी	रू. 5200—20200+1900 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
29.	उपयंत्री	51	तृतीय श्रेणी	रू. 5200—20200+2800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
30.	फिल्टर सहायक	13	तृतीय श्रेणी	रू. 5200—20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
31.	सहायक रिग आपरेटर	85	तृतीय श्रेणी	रू. 5200—20200+2100 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
32.	रिग आपरेटर	104	तृतीय श्रेणी	रू. 5200—20200+2800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
33.	ड्रिलर	06	तृतीय श्रेणी	रू. 5200—20200+1900 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
34.	सहायक ग्रेड—3	17	तृतीय श्रेणी	रू. 5200—20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
35.	सहायक ग्रेड—2	06	तृतीय श्रेणी	रू. 5200—20200+1900 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता

अनुसूची एक —.ख
(नियम–5 देखिए)

कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से संदाय किए जाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा का वर्गीकरण और पदों की संख्या

अनु–क्रमांक	पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	वाटर ट्रालीमेन	11	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
2.	फिल्टर अटेंडेंट	24	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
3.	खानसामा	07	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
4.	खल्लासी	86	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
5.	कामगार	77	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
6.	क्लीनर	56	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
7.	क्लोरीन टेस्टर	43	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
8.	माली	83	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
9.	बिल वितरक	120	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
10.	हेल्पर	2139	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
11.	पंप अटेंडेंट	423+67	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
12.	स्वीपर	166	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
13.	वाटरमेन	06	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
14.	वाल्वमेन	425	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
15.	चौकीदार	766	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
16.	आइलमेन	211	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
17.	लाईनमेन	22	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
18.	लेब अटेंडेन्ट	15	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
19.	लेबर	38	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
20.	मेंशन	124	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
21.	टेलीफोन अटेंडेंट	219	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता

अनुसूची –दो क
(नियम–7 देखिए)

कार्यभारित और आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के भर्ती की प्रकिया

अनु–कमांक	पद का नाम	पदों की संख्या	भरे ज़ाने वाले पदों का प्रतिशत			विभागीय चयन समिति
			सीधी भरती द्वारा	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं में से व्यक्तियों के अस्थाई स्थानांतरण द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	एयर कम्प्रेशर आपरेटर	73	100%			मुख्य अभियंता द्वारा नामनिर्दिष्ट 1. अधीक्षण यंत्री – अध्यक्ष 2. कार्यपालन यंत्री – सदस्य 3. सहायक यंत्री – सदस्य टिप्पणी – एक सदस्य या तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से होगा ।
2.	इलेक्ट्रिशियन ग्रेड–3	80	100%			तदैव
3.	कारपेन्टर	35	100%			तदैव
4.	सहायक केमिस्ट	117	100%			तदैव
5.	केमिस्ट	21	100%			तदैव
6.	क्लोरीन आपरेटर	31	100%			तदैव
7.	मीटर रीडर	114	100%			तदैव
8.	मैकेनिक ग्रेड–3	219	100%			तदैव
9.	बिल लिपिक	65	100%			तदैव
10.	अनुसंधान सहायक	22	100%			तदैव
11.	शिफ्ट इंचार्ज	17	100%			तदैव
12.	सहायक फिटर	18	100%			तदैव
13.	फिटर ग्रेड–3	65	100%			तदैव
14.	फिल्टर आपरेटर ग्रेड–3	72	100%			तदैव
15.	पंप चालक	142	100%			तदैव
16.	पंप आपरेटर	122	100%			तदैव
17.	पेंटर ग्रेड–3	07	100%			तदैव
18.	प्लम्बंर	153	100%			तदैव
19.	प्रयोगशाला सहायक	133	100%			तदैव
20.	समयपाल	388	100%			तदैव
21.	स्टोर क्लर्क	193	100%			तदैव
22.	वायरमेन	85	100%			तदैव
23.	वाहन चालक	599	100%			तदैव
24.	वेल्डर	16	100%			तदैव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25.	हैण्डपंप तकनीशियन	1039	100%			तदैव
26.	टर्नर	15	100%			तदैव
27.	पाईप फिटर	27	100%			तदैव
28.	फिल्टर फिटर	18	100%			तदैव
29.	उपयंत्री	51	100%			तदैव
30.	फिल्टर सहायक	13	100%			तदैव
31.	सहायक रिग आपरेटर	85	100%			तदैव
32.	रिग आपरेटर	104	100%			तदैव
33.	ड्रिलर	06	100%			तदैव
34.	सहायक ग्रेड–3	17	100%			तदैव
35.	सहायक ग्रेड–2	06	100%			तदैव

अनुसूची –दो ख
(नियम–7 देखिए)
कार्यभारित और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के भर्ती की प्रकिया

अनु–कमांक	पद का नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत			विभागीय चयन समिति
			सीधी भरती द्वारा	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं में से व्यक्तियों के अस्थाई स्थानांतरण द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	वाटर ट्रालीमेन	11	100%			मुख्य अभियंता द्वारा नामनिर्दिष्ट 1. अधीक्षण यंत्री – अध्यक्ष 2. कार्यपालन यंत्री – सदस्य 3. सहायक यंत्री – सदस्य टिप्पणी – एक सदस्य या तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से होगा ।
2.	फिल्टर अटेंडेंट	24	100%			
3.	खानसामा	07	100%			तदैव
4.	खल्लासी	86	100%			तदैव
5.	कामगार	77	100%			तदैव
6.	क्लीनर	56	100%			तदैव
7.	क्लोरीन टेस्टर	43	100%			तदैव
8.	माली	83	100%			तदैव
9.	बिल वितरक	120	100%			तदैव
10.	हेल्पर	2139	100%			तदैव
11.	पंप अटेंडेंट	423+67	100%			तदैव
[illegible]	स्वीपर	166	100%			तदैव
13.	वाटरमेन	06	100%			तदैव
14.	वाल्वमेन	425	100%			तदैव
15.	चौकीदार	766	100%			तदैव
16.	आइलमेन	211	100%			तदैव
17.	लाईनमेंन	22	100%			तदैव
18.	लेब अटेंडेन्ट	15	100%			तदैव
19.	लेबर	38	100%			तदैव
20.	मेंशन	124	100%			तदैव
21.	टेलीफोन अटेंडेट	219	100%			तदैव

अनुसूची – तीन
(देखिए नियम–8)

कार्यभारित और आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की विहित आयु सीमा और अर्हताएं

अनु.–कमांक	पद का नाम	विहित आयु सीमा		शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता तथा संबंधित ट्रेड में अनुभव
		न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	एयर कम्प्रेशर आपरेटर,	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण हो एवं संबंधित ट्रेड का अनुभव होना चाहिए
2.	इलेट्रीशियन ग्रेड–तीन	18 वर्ष	35 वर्ष	हाई स्कूल प्रमाण पत्र उत्तीण और इलेट्रीशियन ट्रेड में 5 वर्षो का अनुभव
3.	कारपेन्टर	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी उत्तीर्ण एवं एवं संबंधित ट्रेड में पांच वर्ष का अनुभव
4.	सहायक केमिस्ट	18 वर्ष	35 वर्ष	हायर सेकेण्डरी अथवा (10+2) प्रणाली के तहत 12वी कक्षा रसायनशास्त्र एक विषय के साथ उत्तीर्ण
5.	केमिस्ट	18 वर्ष	35 वर्ष	(रसायन शास्त्र विषय के साथ) बी.एस.सी. उत्तीर्ण होना चाहिए । वाटर सीवेज तथा औद्योगिक अपशिष्ट टेस्टिंग में अनुभवी अभ्यार्थी को अधिमानता दी जायेगी ।
6.	क्लोरीटन आपरेटर	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण ।
7.	मीटर रीडर	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) प्रणाली हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण
8.	मैकेनिक ग्रेड–तीन	18 वर्ष	35 वर्ष	हायर सेकेण्डरी अथवा (10+2) प्रणाली के तहत 12वी कक्षा उत्तीर्ण एवं आई.टी.आई.से फिटर/ मैकेनिक /डीजल मैकेनिक/मोटर मैकेनिक/ मशीनिष्ट ट्रेड उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र ।
9.	बिल लिपिक	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण
10.	अनुसंधान सहायक	18 वर्ष	35 वर्ष	रसाययन शास्त्र एक विषय से साथ (10+2) प्रणाली से हायर सेकण्डरी उत्तीर्ण ।
11.	शिफ्ट इंचार्च	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव ।
12.	सहायक फिटर	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्वति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव ।
13.	फिटर ग्रेड–तीन	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण एवं संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव ।
14.	फिल्टर आपरेटर ग्रेड–तीन	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण एवं संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव ।
15.	पंप चालक	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्वति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव ।

अनु.–क्रमांक	पद का नाम	विहित आयु सीमा		शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता तथा संबंधित ट्रेड में अनुभव
		न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.	पंप आपरेटर	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्वति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव ।
17.	पेंटर ग्रेड–तीन	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्वति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव ।
18.	प्लम्बर	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए एवं संबंधित ट्रेड की अर्हता और अनुभव ।
19.	प्रयोग शाला सहायक	18 वर्ष	35 वर्ष	बी.एस.सी.रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान विषय से उत्तीर्ण होना चाहिए ।
20.	समयपाल	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्वति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण ।
21.	स्टोर क्लर्क	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्वति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण ।
22.	वायरमेन	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण और संबंधित ट्रेड की अर्हता तथा अनुभव ।
23.	वाहन चालक	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्वति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड कां तीन वर्ष का अनुभव ।
24.	वेल्डर	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्वति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा आई.टी.आई से डिलोमा तथा संबंधित ट्रेड का तीन वष का अनुभव ।
25.	हैण्डपंप तकनीशियन	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं आई.टी.आई. फिटर/मैकेनिक/मनिश्टि ट्रेड में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र ।
26.	टर्नर	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं आई.टी.आई. से संबंधित ट्रेड में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र ।
27.	पाईप फिटर	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं आई.टी.आई. से संबंधित ट्रेड में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र ।
28.	फिल्टर फिटर	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं आई.टी.आई. से संबंधित ट्रेड में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र ।
29.	उपयंत्री	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्वति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा सिविल/मैके./इले./इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा ।
30.	फिल्टर सहायक	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित ट्रेड की अर्हता तथा अनुभव ।

अनु.–क्रमांक	पद का नाम	विहित आयु सीमा		शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता तथा संबंधित ट्रेड में अनुभव
		न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31.	सहायक रिग आपरेटर	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्वति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव ।
32.	रिग आपरेटर	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्वति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव ।
33.	ड्रिलर	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्वति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव ।
34.	सहायक ग्रेड–तीन	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं म.प्र. शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन का प्रमाण पत्र तथा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्युटर परीक्षा उत्तीर्ण ।
35.	सहायक ग्रेड–दो	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं म.प्र. शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन का प्रमाण पत्र तथा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्युटर परीक्षा उत्तीर्ण ।
36.	टेलीफोन अटेंडेंट	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
37.	वाटर टालीमेन	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
38.	फिल्टर अटेंडेंट	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
39.	खानसामा	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
40.	खल्लासी	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
41.	कामगार	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
42.	क्लीनर	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
43.	क्लोरीन टेस्टर	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
44.	माली	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
45.	बिल वितरक	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।

अनु.-क्रमांक	पद का नाम	विहित आयु सीमा		शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता तथा संबंधित ट्रेड में अनुभव
		न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
46.	हेल्पर	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
47.	पंप अटेंडेंट	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
48.	स्वीपर	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
49.	वाटरमेन	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
50.	वाल्वमेन	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
51.	चौकीदार	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
52.	आइलमेन	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
53.	लाईनमेन	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
54.	लेब अटेंडेंट	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
55.	लेबर	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
56.	मेशन	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।

S.No.	Name of post	Prescribed age limit		Educational,tehnical qualification asnf experience in the respective trade
		Minimum age	Maximum age	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
49	Waterman	18 Year	35Year	Must have passed Eight class and experience and qualification of respective trade.
50	Valveman	18 Year	35Year	Must have passed Eight class and experience and qualification of respective trade.
51	Chowkidar	18 Year	35Year	Must have passed Eight class and experience and qualification of respective trade.
52	Oilman	18 Year	35Year	Must have passed Eight class and experience and qualification of respective trade.
53	Lineman	18 Year	35Year	Must have passed Eight class and experience and qualification of respective trade.
54	Lab Attendent	18 Year	35Year	Must have passed Eight class and experience and qualification of respective trade.
55	Labour	18 Year	35Year	Must have passed Eight class and experience and qualification of respective trade.
56	Meason	18 Year.	35Year	Must have passed Eight class and experience and qualification of respective trade.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. ठाकुर, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 511] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 नवम्बर 2011—अग्रहायण 4, शक 1933

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2011

कमांक एफ–2–10/2011/1/34– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतदव्दारा, मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित) सेवा (सेवा की शर्ते तथा भरती) नियम, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात :–

संशोधन

उक्त नियमों में अनुसूची 1, 2, 3, एवं 4 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाए, अर्थात्

अनुसूची एक
(नियम–5 देखिए)
(वर्गीकरण, पदों की संख्या एवं वेतनमान)

अनु. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	उपयंत्री (सिविल)	974	स्टेटवाईड केडर (अराजपत्रित)	रू. 9300–34800+3200 ग्रेडपे	प्रमुख अभियंता
2.	उपयंत्री(वि/यां.)	263	––तदैव–––	रू. 9300–34800+3200 ग्रेडपे	–तदैव–
3.	सर्वेयर/ आर्टिफिसर/ सब आर्टिफिसर	14	––तदैव–––	रू. 5200–20200+1900 ग्रेडपे	–तदैव–
4.	रिग आपरेटर (इलेक्टिकल)	08	––तदैव–––	रू. 9300–34800+3200 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता (वि./यां.)
5.	सहायक रिग आपरेटर	08	––तदैव–––	रू. 5200–20200+1900 ग्रेडपे	–तदैव–
6.	ड्रिलर	10	––तदैव–––	रू. 5200–20200+2400 ग्रेडपे	–तदैव–
7.	मुख्य मानचित्रकार	11	––तदैव–––	रू. 9300–34800+3200 ग्रेडपे	प्रमुख अभियंता
8.	मानचित्रकार	61	––तदैव–––	रू. 9300–34800+3200 ग्रेडपे	–तदैव–
9.	सहायक मानचित्रकार	66	––तदैव–––	रू. 5200–20200+2400 ग्रेडपे	–तदैव–
10.	अनुरेखक	09	––तदैव–––	रू. 5200–20200+1900 ग्रेडपे	–तदैव–
11.	मुख्यालय अधीक्षक	04	––तदैव–––	रू. 9300–34800+3600 ग्रेडपे	–तदैव–

अनु क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	मण्डल अधीक्षक	17	स्टेटवाइड केडर	रू. 9300–34800+3200 ग्रेडपे	प्रमुख अभियंता
13.	सहायक ग्रेड–1 (स्टेटवाईड)	19	––तदैव––––	रू. 5200–20200+2800 ग्रेडपे	–तदैव–
14.	सहायक ग्रेड–1 (नान स्टेटवाईड)	26	नान स्टेटवाईड केडर	रू. 5200–20200+2800 ग्रेडपे	–तदैव–
15.	वरिष्ठ निज सहायक(शीघ्रलेखक ग्रेड–1)	10	स्टेटवाईड केडर अराजपत्रित	रू. 9300–34800+4200 ग्रेडपे	–तदैव–
16.	निज सहायक (शीघ्रलेखक ग्रेड–2)	18	––तदैव––––	रू. 9300–34800+3200 ग्रेडपे	–तदैव–
17.	शीघ्रलेखक ग्रेड–3	60	––तदैव––––	रू. 5200–20200+2800 ग्रेडपे	–तदैव–
18.	स्टेनोटायपिस्ट	05	––तदैव––––	रू. 5200–20200+1900 ग्रेडपे	–तदैव–
19.	लेखापाल	01	––तदैव––––	रू. 5200–20200+2400 ग्रेडपे	–तदैव–
20.	सहायक ग्रेड–2 (स्टेटवाईड)	29	––तदैव––––	रू. 5200–20200+2400 ग्रेडपे	–तदैव–
21.	सहयक ग्रेड–3 (स्टेटवाईड)	68	––तदैव––––	रू. 5200–20200+1900 ग्रेडपे	–तदैव–
22.	सहायक ग्रेड–2 (नानस्टेटवाईड)	388	नॉनस्टेटवाईड केडर	रू. 5200–20200+2400 ग्रेडपे	क्षेत्रीय मुख्य अभियंता
23.	सहायक ग्रेड–3 (नानस्टेटवाईड)	493	––तदैव––––	रू. 5200–20200+1900 ग्रेडपे	–तदैव–
24	संभागीय लेखापाल	50	स्टेटवाईड केडर अराजपत्रित	रू. 9300–34800+3200 ग्रेडपे	महालेखाकार
25.	रसायनज्ञ	12	––तदैव––––	रू. 5200–20200+2800 ग्रेडपे	क्षेत्रीय मुख्य अभियंता
26.	सहायक रसायनज्ञ	05	––तदैव––––	रू. 5200–20200+1900 ग्रेडपे	–तदैव–
27.	अनुसंधान सहायक	02	––तदैव––––	रू. 5200–20200+1900 ग्रेडपे	–तदैव–
28.	मैकेनिक	14	––तदैव––––	रू. 5200–20200+1900 ग्रेडपे	–तदैव–
29.	इलेक्ट्रीशियन	03	स्टेटवाईड केडर अराजपत्रित	रू. 5200–20200+1900 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता संबंधित परिक्षेत्र
30.	इलेक्ट्रीशियन / वायरमेन	02	––तदैव––––	रू. 5200–20200+1900 ग्रेडपे	–तदैव–
31.	फिटर	05	––तदैव––––	रू. 5200–20200+1900 ग्रेडपे	–तदैव–
32.	फिल्टर इंसपेक्टर /रसायनज्ञ	01	––तदैव––––	रू. 5200–20200+1900 ग्रेडपे	–तदैव–

अनु. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33.	शिफ्ट चालक	36	---तदैव----	रू. 5200--20200+1900 ग्रेडपे	--तदैव--
34	प्लम्बर	03	---तदैव----	रू. 5200--20200+1900 ग्रेडपे	--तदैव--
35	फिल्टर आपरेटर	08	---तदैव----	रू. 5200--20200+1900 ग्रेडपे	--तदैव--
36	पाईप फिटर	04	---तदैव----	रू. 5200--20200+2100 ग्रेडपे	--तदैव--
37	शिफ्ट फिटर	02	---तदैव----	रू. 5200--20200+1900 ग्रेडपे	--तदैव--
38	एयर कम्प्रेशर आपरेटर (ड्रायवर)	15	---तदैव----	रू. 5200--20200+2100 ग्रेडपे	--तदैव--
39	फिल्टर अटेन्डेन्ट	19	---तदैव----	रू. 5200--20200+1900 ग्रेडपे	--तदैव--
40	पंप अटेन्डेन्ट	24	---तदैव----	रू. 5200--20200+2100 ग्रेडपे	--तदैव--
41	वेल्डर	06	---तदैव----	रू. 5200--20200+1900 ग्रेडपे	--तदैव--
42	हैण्डपंप तकनीशियन	913	---तदैव----	रू. 5200--20200+2100 ग्रेडपे	--तदैव--

अनुसूची –दो
(नियम–6 (2) देखिए)

विभाग का नाम	सेवा का पद नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत			विभागीय चयन समिति	अभियुक्तियाँ
			सीधी भरती द्वारा नियम 6(1) (क)	सेवा के सदस्यों को पदोन्नति द्वारा नियम 6 (1) (ख)	अन्य सेवा से व्यक्तियों के अस्थायी स्थानांतरण द्वारा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	उपयंत्री (सिविल)	974	90 प्रतिशत	5 प्रतिशत *1 5 प्रतिशत *2		1.मुख्य अभियंता– अध्यक्ष 2. अधीक्षण यंत्री (रूपांकन) सदस्य 3.अधीक्षण यंत्री (प्रशा.) सदस्य– 4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी –सदस्य – सचिव	*1 उपयंत्री (सिविल) के 5 प्रतिशत पद आर्टिफिसर,उप आर्टिफिसर तथा सर्वेयर और नियिमित स्थापना में कार्यरत कर्मचारियों जो सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि/3 वर्षीय डिप्लोमा तथा उक्त पदो पर 10 वर्ष का कार्यानुभव रखते है की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे। *2 उपयंत्री के 5 प्रतिशत पद अनुरेखक/सहायक मानचित्रकार तथा अन्य तकनीकी पद पर कार्यरत कर्मचारियों जिनके पास सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय/पार्ट टाइम डिप्लोमा एवं पद पर न्यूनतम 10 वर्ष का कार्यानुभव हो, की सीमित परीक्षा आयोजित कर भरे जाएंगे।
	उपयंत्री(वि./या.)	263	90 प्रतिशत	5 प्रतिशत *1 5 प्रतिशत *2	—	1.मुख्य अभियंता– अध्यक्ष 2. अधीक्षण यंत्री (रूपांकन) सदस्य– 3.अधीक्षण यंत्री (प्रशा.) सदस्य– 4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी –सदस्य – सचिव	*1 उपयंत्री (वि. एवं या) के 5 प्रतिशत पद आर्टिफिसर ,उप आर्टिफिसर तथा सर्वेयर और नियमित स्थापना में कार्यरत कर्मचारियों जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि/3 वर्षीय डिप्लोमा तथा उक्त पदों पर 10 वर्ष का कार्यानुभव रखते है की पदोन्नति द्वारा भरे जाएगें । *2 उपयंत्री के 5 प्रतिशत पद अनुरेखक /सहायक मानचित्रकार/मानचित्रकार तथा अन्य तकनीकी पद पर कार्यरत कर्मचारियों जिनके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय/पार्टटाइम डिप्लोमा एवं पद पर न्यनूतम 10 वर्ष का कार्यानुभव हो, की सीमित परीक्षा आयोजित कर भरे जाएंगे।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	सर्वेयर / आर्टिफिसर / सब आर्टिफिसर	14	—	100 प्रतिशत	—	----तदैव----	
	रिग आपरेटर (इलेक्ट्रिकल)	08	—	100 प्रतिशत	—	1.अधीक्षण यंत्री (वि. / यां.) –अध्यक्ष 2. कार्यपालन यंत्री(वि. / यां.) सदस्य	
	सहायक रिग आपरेटर	08	—	100 प्रतिशत	—	1.अधीक्षण यंत्री (वि. / यां.) –अध्यक्ष 2. कार्यपालन यंत्री(वि. / यां.) सदस्य	
	ड्रिलर	10	—	100 प्रतिशत	—	1.अधीक्षण यंत्री (वि. / यां.) –अध्यक्ष 2. कार्यपालन यंत्री(वि. / यां.) सदस्य	
	मुख्य मानचित्रकार	11	—	100 प्रतिशत	—	1.मुख्य अभियंता– अध्यक्ष 2. अधीक्षण यंत्री (रूपांकन) सदस्य 3.अधीक्षण यंत्री (प्रशा.) सदस्य 4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सदस्य सचिव	
	मानचित्रकार	61	—	100 प्रतिशत	—	---तदैव---	
	सहायक मानचित्रकार	66	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	—	---तदैव---	सहायक मानचित्रकार के 50 प्रतिशत पद अनुरेखकों की पदोन्नति से भरे जाऐंगें
	अनुरेखक	09	100 प्रतिशत	—	—	---तदैव---	
	हैण्डपंप तकनीशियन	913	100 प्रतिशत	—	—	---तदैव---	
तृतीय श्रेणी लिपिकवर्गीय (स्टेट वाईज केडर)							
	मुख्यालय अधीक्षक	04	—	100 प्रतिशत	—	1.मुख्य अभियंता– अध्यक्ष 2. अधीक्षण यंत्री (रूपांकन) सदस्य 3.अधीक्षण यंत्री (प्रशा.) सदस्य 4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सदस्य सचिव	
	मण्डल अधीक्षक	17	—	100 प्रतिशत		---तदैव---	

	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	सहायक ग्रेड–एक (स्टेटवाइड / नॉन स्टेटवाईड)	19+26	—	100 प्रतिशत	—	1. मुख्य अभियंता–अध्यक्ष 2. अधीक्षण यंत्री (रूपांकन) सदस्य 3. अधीक्षण यंत्री (प्रशा.) सदस्य 4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सदस्य सचिव	मुख्य कार्यालय के सहायक के पद लेखापाल एवं सहायक ग्रेड–दो की पदोन्नति द्वारा भरे जायेगें, मण्डल कार्यालय के सहायक ग्रेड–एक के पद सहायक ग्रेड–दो (नॉन स्टेडवाइड केडर) की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे, जिन्होंने सुपीरियर क्लर्क परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
	सहायक ग्रेड–2 / लेखापाल (स्टेटवाईड)	29+1	—	100 प्रतिशत	—	—तदैव—	सहायक ग्रेड–दो / लेखापाल के पद सहायक ग्रेड–3 की पदोन्नति द्वारा भरे जायेगें
	सहायक ग्रेड–3 (स्टेटवाईड)	68	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	—	—तदैव—	सहायक ग्रेड–तीन के 25 प्रतिशत पद चतुर्थ श्रेणी के नियमित कर्मचारियों से भरे जाएंगे जिन्होंने (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण की हो एवं मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
	वरिष्ठ निज सहायक	10	—	100 प्रतिशत	—	—तदैव—	
	निज सहायक	18		100 प्रतिशत	—	—तदैव—	
	शीघ्रलेखक	59	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	—	—तदैव—	शीघ्रलेखक के 25 प्रतिशत पद स्टेनोटायपिस्ट की पदोन्नति द्वारा भरे जाएगें।
	स्टेनोटाईपिस्ट	05	100 प्रतिशत			तदैव	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
तृतीय श्रेणी लिपिकवर्गीय (नानस्टेट वाईज केडर)							
	सहायक ग्रेड–2 (नॉन स्टेडवाईड केडर)	388	—	100 प्रतिशत	—	1. अधीक्षण यंत्री –अध्यक्ष 2. कार्यपालन यंत्री –सदस्य 3. सहायक यंत्री – सदस्य	
	सहायक ग्रेड–3 (नॉन स्टेडवाईड केडर)	493	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	—	1. अधीक्षण यंत्री –अध्यक्ष 2. कार्यपालन यंत्री –सदस्य 3. सहायक यंत्री – सदस्य	सहायक ग्रेड–तीन के 25 प्रतिशत पद उन चर्तुर्थ श्रेणी के नियमित कर्मचारियों से भरे जाएंगे जिन्होंने (10+2) पद्धति से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो एवं मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
	संभागीय लेखापाल	50	—	—	—	—	अस्थायी आधार पर महालेखाकार मध्यप्रदेश द्वारा नियुक्त किये जावेगें।
	रसायनज्ञ	12	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	—	1.अधीक्षण यंत्री –अध्यक्ष 2. कार्यपालन यंत्री सदस्य 3. सहायक यंत्री – सदस्य	रसायनज्ञ के 50 प्रतिशत पद उन सहायक रसायनज्ञ द्वारा भरे जाएंगे जिन्होंने बी0एस0सी0 (रसायनशास्त्र तथा प्राणि विज्ञान) परीक्षा उत्तीण की हो तथा सहायक रसायनज्ञ के पद पर 3 वर्ष पूर्ण कर लिये हो।
	सहायक रसायनज्ञ	05	100%	—	—	—तदैव—	
	प्रयोगशाला सहायक	02	100 प्रतिशत	—	—	—तदैव—	
	इलेक्ट्रीशियन	03	100 प्रतिशत	—	—	—तदैव—	
	मैकेनिक	14	100 प्रतिशत	—	—	—तदैव—	
	इलेक्ट्रीशियन / वायरमेन	02	100 प्रतिशत	—	—	—तदैव—	
	फिटर	05	100 प्रतिशत	—	—	—तदैव—	
	फिल्टर इंस्पेक्टर / रसायनज्ञ	01	100 प्रतिशत	—	—	—तदैव—	
	शिफ्ट चालक	36	100 प्रतिशत	—	—	—तदैव—	
	प्लम्बर	03	100 प्रतिशत	—	—	—तदैव—	
	फिल्टर आपरेटर	08	-	100 प्रतिशत	—	—तदैव—	फिल्टर आपरेटर का पद फिल्टर अटेन्डेंट के पद से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	पाईप फिटर	04	100 प्रतिशत	—	—	---तदैव----	
	शिफ्ट-फिटर	02	100 प्रतिशत	—	—	---तदैव----	
	फिल्टर अटेन्डेन्ट	19	100 प्रतिशत	—	—	---तदैव----	
	पंप अटेन्डेन्ट	24	100 प्रतिशत	—	—	---तदैव----	
	वेल्डर	06	100 प्रतिशत	—	—	---तदैव----	
	एयर कम्प्रेशर आपरेटर	15	100 प्रतिशत	—	—	---तदैव----	

नोट :— 1. विभागीय पदोन्नति समिति में एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का होगा।
2. सीधी भर्ती हेतु चयन समिति में एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का होगा एवं एक सदस्य अन्य पिछड़े वर्ग का होगा।

अनुसूची – तीन
(नियम–8 देखिए)

विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	उपयंत्री (सिविल)	18 वर्ष	35 वर्ष	राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनिरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा	
	उपयंत्री (वि.यॉ.)	18 वर्ष	35 वर्ष	राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से मैकेनिकल /इलेक्ट्रीकल इंजीनिरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा	
	स्टेनोटायपिस्ट	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डी परीक्षा उत्तीर्ण एवं मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन तथा शीघ्रलेखन का प्रमाण पत्र तथा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण	
	सहायक ग्रेड–3	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डी परीक्षा उत्तीर्ण एवं मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड से शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन का प्रमाण पत्र तथा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण	
तृतीय श्रेणी – अन्य					
	रसायनज्ञ	18 वर्ष	35 वर्ष	बी.एस.सी. रसायन शास्त्र एक विषय के रूप में (वाटर सीवेज तथा इन्डस्ट्रीयल वेस्ट परीक्षण का अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों को अधिमान्यता दी जावेगी।	
	सहायक रसायनज्ञ	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्धतिं से हायर सेकेण्डी परीक्षा रसायन विषय के साथ उत्तीर्ण।	
	प्रयोगशाला सहायक	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डी परीक्षा रसायन विषय के साथ उत्तीर्ण।	
	मैकेनिक	18 वर्ष	35 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मैकेनिक ट्रेड में प्रमाण पत्र	
	इलेक्ट्रीशियन	18 वर्ष	35 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रिशियन/वॉयरमेन ट्रेड में प्रमाण पत्र ।	
	इलेक्ट्रीशिन /वायरमेन	18 वर्ष	35 वर्ष	––तदैव––	
	फिटर	18 वर्ष	35 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से फिटर ट्रेड में प्रमाण पत्र ।	
	फिल्टर इंस्पेंक्टर / रसायनज्ञ	18 वर्ष	35 वर्ष	बी.एस.सी.(रसायनशास्त्र तथा प्राणि विज्ञान के साथ) प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण	
	शिफ्ट चालक	18 वर्ष	35 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से मैकेनिक ट्रेड में प्रमाण पत्र ।	

	सहायक मानचित्रकार	18 वर्ष	35 वर्ष	राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से चित्रकार अधिदर्शक उप–अधिदर्शक पाठ्यकम या वास्तुकला में डिप्लोमा या ड्राफ्टमेन ट्रेड में प्रमाण पत्र ।	
	अनुरेखक	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण तथा प्रारंभिक एवं माध्यमिक ड्राइंग परीक्षा उत्तीर्ण	
तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय					
	शीघ्रलेखक	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डी परीक्षा उत्तीर्ण एवं म.प्र.शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड से शीघ्रलेखन / मुद्रलेखन का प्रमाण पत्र तथा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण	
	हैण्डपंप तकनीशियन	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से फिटर, ट्रेड में प्रमाण पत्र ।	
	प्लम्बर	18 वर्ष	35 वर्ष	औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्था से प्लम्बर ट्रेड में प्रमाण पत्र ।	
	पाईप फिटर	18 वर्ष	35 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से फिटर ट्रेड में प्रमाण पत्र ।	
	शिफ्ट फिटर	18 वर्ष	35 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से फिटर ट्रेड में प्रमाण पत्र ।	
	पंप अटेन्डेन्ट	18 वर्ष	35 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से मैकेनिक ट्रेड में प्रमाण पत्र ।	
	फिल्टर अटेंन्डेन्ट	18 वर्ष	35 वर्ष	तदैव	
	फिल्टर ऑपरेटर	18 वर्ष	35 वर्ष	तदैव	
	वेल्डर	18 वर्ष	35 वर्ष	औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्था से वेल्डर ट्रेड में प्रमाण पत्र ।	
	एयर कम्प्रेशर ड्रायवर	18	35	औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्था से मशिनिष्ट ट्रेड में प्रमाण पत्र ।	

(अनुसूची --चार)
(नियम--13 देखिए)

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	अगले उच्चत्तर पद पर पदोन्नति हेतु अर्हता की न्यूनतम अनुभव अवधि	पद का नाम जिस पद पर पदोन्नति की जाना है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	सर्वेयर/ सब आर्टिफिसर	राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा	उपयंत्री	1. अधीक्षण यंत्री अध्यक्ष 2. कार्यपालन यंत्री (वि./यां..)– सदस्य 3. सहायक यंत्री सदस्य	
	रिग आपरेटर (विद्युत)	राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से मैकेनिकल इंजीनिरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा (पत्रोपाधि)	उपयंत्री	---तदैव---	
	सहायक रिग आपरेटर	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण एवं आठ वर्ष का ड्रिलिंग कार्य का अनुभव या 80,000 फुट फास्ट रिग पर ड्रिलिंग का अनुभव या (2) (10+2) पद्धति से 12वी परीक्षा उत्तीर्ण तथा ड्रिलिंग कार्य का 6 वर्ष का अनुभव या 60,000 फुट फास्ट रिग पर ड्रिलिंग का अनुभव या (3) औद्यौगिक संस्थान का प्रमाण–पत्र तथा ड्रिलिंग में चार वर्ष अनुभव या 40,000 फास्ट रिग पर ड्रिलिंग का अनुभव या (4) मैकेनिकल इंजीनियरिंग / ऑटो मोबाईल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा तथा ड्रिलिंग में एक वर्ष का अनुभव या 10,000 फुट फास्ट रिग पर ड्रिलिंग का अनुभव।	रिग आपरेटर	---तदैव---	
	ड्रिलर	ड्रिलर के पद पर 5वर्ष का अनुभव एवं हिन्दी एवं अंग्रेजी षढ़ने की योग्यता तथा माइक्रोमीटर एवं वर्नीयर केलिपर्स पढ़ने का भी ज्ञान तथा ऑयल के ग्रेडर्स जानने की क्षमता।	रिग आपरेटर	---तदैव---	

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	अगले उच्चत्तर पद पर पदोन्नति हेतु अर्हता की न्यूनतम अनुभव अवधि	पद का नाम जिस पद पर पदोन्नति की जावेगी	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	मानचित्रकार	मानचित्रकार में पॉच वर्ष का अनुभव	मुख्य मानचित्रकार	1. मुख्य अभियंता अध्यक्ष 2. अधीक्षण यंत्री (रूपांकन)– सदस्य 3. अधीक्षण यंत्री (प्रशा.) – सदस्य 4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी –सदस्य संचिव	
	सहायक मानचित्रकार	पांच वर्ष की सेवा तथा (सिविल / मैकनिकल) इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा या औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान से मानचित्रकार का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम	मानचित्रकार	––तदैव––	
	अनुरेखक	5 वर्ष की सेवा	सहायक मानचित्रकार	––तदैव––	
तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)					
	मंडल अधीक्षक	5 वर्ष	मुख्यालय अधीक्षक	1. मुख्य अभियंता अध्यक्ष 2. अधीक्षण यंत्री (रूपांकन)– सदस्य 3. अधीक्षण यंत्री (प्रशा.) – सदस्य 4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी– सदस्य संचिव	

37

विभाग का नाम	उस सेवा अथवा पद का नाम जिससे पदोन्नति की जावेगी	अगले उच्चत्तर पद पर पदोन्नति हेतु अर्हता की न्यूनतम अनुभव अवधि	उस सेवा अथवा पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जावेगी	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यो के नाम (नियम–13 देखिए)	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	निज सहायक	5 वर्ष	वरिष्ठ निज सहायक	1. मुख्य अभियंता अध्यक्ष 2. अधीक्षण यंत्री (रूपांकन)– सदस्य 3. अधीक्षण यंत्री (प्रशा.) – सदस्य 4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सदस्य सचिव	
	शीघ्रलेखक	5 वर्ष	निज सहायक	––तदैव––	
	स्टेनोटायपिस्ट	5 वर्ष	शीघ्रलेखक	––तदैव––	
	सहायक ग्रेड–एक	5 वर्ष	मण्डल अधीक्षक	––तदैव––	
	लेखापाल एवं सहायक ग्रेड–दो (स्टेट वाईड)	5 वर्ष तथा सुपिरियर क्लर्क परीक्षा उत्त्तीर्ण	सहायक ग्रेड–एक (प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता कार्यालय में)	1. मुख्य अभियंता अध्यक्ष 2. अधीक्षण यंत्री (रूपांकन)– सदस्य 3. अधीक्षण यंत्री (प्रशा.) – सदस्य 4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सदस्य सचिव	
	सहायक ग्रेड–दो (नॉन स्टेट वाईड)	5 वर्ष तथा सुपिरियर क्लर्क परीक्षा उत्त्तीर्ण	सहायक ग्रेड–एक मण्डल कार्यालय	––तदैव––	
	सहायक ग्रेड–तीन (स्टेट वाईड)	5 वर्ष	सहायक ग्रेड–दो / लेखापाल	––तदैव––	
	सहायक ग्रेड–3 (नॉन स्टेट वाईड)	5 वर्ष	अधीक्षण यंत्री कार्यालय का सहायक ग्रेड–दो)	––तदैव––	
	सहायक रसायनज्ञ	5 वर्ष बी.एस.सी. (रसायन–शास्त्र विषय के साथ) वाटर सीवेज तथा औद्योगिक वेस्ट परीक्षण का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को अधिमान्यता दी जाएगी।	रसायनज्ञ	––तदैव––	
	फिल्टर अटेंडेंट	5 वर्ष	फिल्टर आपरेटर	––तदैव––	

Name of the Depart-ment	Name of post from which promotion is to be made	Minimum experience period of eligibility for promotion to next higher post	Name of post to which promotion is to be made	Members of the Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Assistant grade-III (Non Statewide)	Five years	Assistant grade-II Office of Superintending Engineer.	-do-	
	Assistant Chemist	Five years B.Sc. (with Chemistry as a subject) preference will be given to the candidate having experience of water sewage and industrial waste testing.	Chemist	-do-	
	Filter Attendent	Five years experience	Filter Operator	-do-	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. अहिरवार, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.